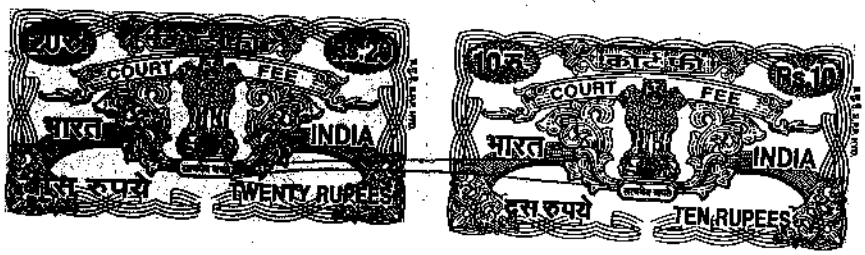

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–शिवपुरी निग – 1548 – II – 16

1– बाबू आदिवासी पुत्र श्री सुख्खा आदिवासी
2– अमोल पुत्र श्री सुख्खा आदिवासी
निवासी – ग्राम श्रीनगर तहसील खनियाधाना
जिला – शिवपुरी (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

म. प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

...... अनावेदक

दिनांक 19-5-16 को श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभि० द्वारा प्रस्तुत।
19-5-16
50

<u>न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 12/2015–16 /अ–21 (1) में पारित आदेश दिनांक 22.03.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1548/दो/2016 जिला-शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20.5.16	यह निगरानी आवेदकगण द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्र. 12/15-16 /अ-21(1) में पारित आदेश दिनांक 22.03. 2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदकगण द्वारा ग्राम दुर्गापुर में स्थित भूमि सर्वे नं.278, 283, 284, 290, 281, 285, 291 एवं 292 कुल रकवा 2.150 है0 भूमि पर आवेदकगण के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है। उक्त भूमि में से (एक बीघा) भूमि के विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन कलेक्टर, जिला शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है। 3- आवेदकगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में बताया था। आवेदकगण के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि में से केवल एक बीघा भूमि विक्रय करने की अनुमति पुत्री की शादी एवं शेष बची भूमि को कृषि उपयोगी बनाने हेतु धन की आवश्यकता होने से	

विक्रय की अनुमति मांगी गयी थी, किन्तु कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा आवेदन पत्र पर विचार न कर जो कार्यवाही एवं आदेश पारित किया गया है, वह विधिवत नहीं है, ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया गया।

4- अनावेदक म0प्र0 शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में अभी कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया, इसलिए वर्तमान निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है, अतः इसी आधार पर समाप्त किये जाने योग्य है।

5- विद्वान अभिभाषक के तर्को पर विचार करने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण को पारिवारिक आवश्यकता से भूमि विक्रय की अनुमति अधीनस्थ न्यायालय से चाही गयी है। इस संबंध में उनकी ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वह अपने स्वत्व, स्वामित्व एवं अधिपत्य की सम्पूर्ण भूमि में से केवल रकवा एक बीघा भूमि विक्रय करना चाहते हैं, जिससे वह भूमिहीन नहीं होंगें, बल्कि उनके जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त भूमि शेष रहेगी। ऐसी स्थिति में आवेदकगणों की पारिवारिक आवश्यकताओं पर विचार किये बिना जो कार्यवाही एवं आदेश कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा की जा रही है, वह विधिवत नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.03.2016 अपास्त किया जाकर आवेदकगणों को ग्राम दुर्गापुर हल्का नं. 27 पोठयाई तहसील खनियाधाना में स्थित भूमि सर्वे नं.278, 283, 284, 290, 281, 285, 291 एवं 292 कुल रकवा 2.150 है0 में से 0.20 है0 (एक बीघा) भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति दी जाती है।

सदस्य